:: न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राज.) ::

क्रमांकः 45 दिनांकः 22/11/24

:: संशोधित आदेश ::

इस कार्यालय के पूर्व आदेश **क्रमांक 38 दिनांक 27.09.2024** में आंशिक परिवर्तन करते हुए **दिनांक 24.11.2024** के राजकीय अवकाश में **श्रीमती रचना वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़** की लगाई गई रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त कर झालावाड़ न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड अभिवृद्धि व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन, मृत्युकालीन कथन, धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मृत्यु समीक्षा करना शामिल है, को **दिनांक 24.11.2024** के राजकीय अवकाश में करने के लिए **श्रीमती मीनाक्षी व्यास, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, झालावाड़** को अधिकृत किया जाता है। इसके अलावा पूर्व का मूल आदेश यथावत रहेगा।

-Sd-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़।

क्रमांकः 1645 दिनांकः 22/11/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़
02. श्रीमती रचना वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़।
03. श्रीमती मीनाक्षी व्यास, अतिरिक्त मुख्या न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, झालावाड़।
04. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे ।
05. प्रभारी अधिकारी वायर लैस केन्द्र झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
06. आदेश/संबंधित पत्रावली।
07. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को झालावाड न्याय क्षैत्र की **Website-jhalawar.dcourts.gov.in** पर इस आदेश को अपलोड़ करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़।